चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के नेतृत्व में पुलिस कार्यालय में श्रमदान कर साफ-सफाई की गई

आज दिनांक 12.04.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा श्रमदान करते हुए कार्यालय परिसर, ऑफिस एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई की गई।

अभियान के दौरान परिसर में फैली गंदगी को हटाकर स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे नियमित रूप से अपने-अपने कार्यस्थलों पर साफ-सफाई बनाए रखें तथा आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें।

इस अवसर पर वाचक पुलिस अक्षीक्षक श्री राजीव कुमार सिह, प्रभारी महिला सेल/जनसूचना सेल श्री जयप्रकाश उपाध्याय, पीआरओ पुलिस अक्षीक्षक श्री प्रदीप पाल एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे तथा सभी ने स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों से 45 अदद क्वार्दर देशी व 05 लीटर कच्ची नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री सुभाषराम मय हमराह आरक्षी आरक्षी आकाश सेन,आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त 1.वीरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी खजुरिहा कला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर नाजायज देशी शराब 2. संतोष कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी जगदेव दास का अखाडा दुर्गाकुंज तरौहा को 20 अदद क्वार्टर नाजायज देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री बृजबिहारी मय हमराह आरक्षी आरक्षी शाकिर अली,आरक्षी शुभम मिश्रा थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त नवल पुत्र बउआ पासी निवासी रुपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह मय हमराही आरक्षी शुभम त्रिपाठी,आरक्षी राकेश कुमार थाना मऊ के द्वारा अपराध संख्या 56/15 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के वारंटी रामप्रसाद उर्फ मेंहदी पुत्र रामखेलावन निवासी बरियारी कलां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह,उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार कटिय़ार थाना राजापुर के द्वारा अपराध संख्या 61/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के वारंटी अभियुक्त गोलू सोनकर उर्फ लंगड पुत्र बब्बू सोनकर निवासी हनुमानगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). थानाध्यक्ष पहाडी श्री प्रवीण कुमार सिंह मय हमराह का0 बहोरन सिंह का0 सचिन कुमार , का0 दीपक सिंह के द्वारा वाद सं0 90/019 धारा 323/504 भादवि के वारंटी अभियुक्त राजकरन पुत्र सरजुन नि0 ग्राम देवल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 मुकेश कुमार सिंह थाना रैपुरा मय हमराह हे का0 राममूरत द्वारा अ0सं0 122/19, मु0सं0 2505 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 के वारण्टी अभियुक्त मोहित त्रिपाठी पुत्रव रामचरन त्रिपाठी उम्र करीब 24 वर्ष निवासी लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह व आरक्षी अनुज यादव,आरक्षी रविन्द्र राठौर के द्वारा अभियुक्त राम बाबू पुत्र नत्थू प्रसाद कहार निवासी वन शाखा थाना गिरवा बांदा हाल पता बांध तालाब सीतापुर को 45 अदद पाउच देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।